



उपखण्ड अधिकारी  
संजानाहा  
30/08/19

निर्णय

1. श्री तीलाराम एडवोकेट वार्दिनी
2. श्री बजरंग सिंह एडवोकेट प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

दाव घोषणात्मक एवं खातेदात्री विभाजन

प्रतिवादीगण-

1. श्रीमती जयाना देवी पत्नी स्व. हजराम जाति जाट निवासी गुडबडी तहसील राजस्थान
2. विजयपाल पुत्र स्व. हजराम जाति जाट निवासी गुडबडी तहसील राजस्थान
3. सुभाष पुत्र स्व. हजराम जाति जाट निवासी गुडबडी तहसील राजस्थान
4. श्रीमती इन्दुदेवी पुत्री हजराम पत्नी सागरमल जाति जाट निवासी गुडबडी तहसील राजस्थान
5. उप पत्नीयक संजानाहा
6. राजस्थान सरकार जाटिये तहसीलदार संजानाहा

बनाम

-वार्दिनी

श्रीमती संतोष पुत्री स्व. हजराम पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी गुडबडी तहसील राजस्थान

निर्णय दिनांक:- 30.08.2019

राजस्व वाद संख्या- 10/2019

पीठाधीन अधिकारी- रतन कुमार आर.ए.एस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संजानाहा

राजस्थान-सरकार

संजाना  
उप खण्ड अधिकार  
30/8/19

1. सतीष पुत्री इकराम जाति जाट निवासी गुंडावड़ी खसरा नं. 568/826
2. सीतादेवी पत्नी इकराम पुजाठी जाति बहाम्ब निवासी सालासर खसरा नं. 568/826 रकबा 1.03 बीघा किस्म बा.अ. लगान 0.80
3. ज्यानादेवी पत्नी इकराम विजयपाल इन्द्रादेवी पुत्र पुत्री इकराम जाति जाट सा. गुंडावड़ी खसरा नं. 568/826 रकबा 3.09 किस्म बा.अ. लगान

रूपयें का मौक पर बतवार निम्नानुसार है -  
ग्राम सालासर के खसरा नं. 568/826 कुल रकबा 5.15 बीघा लगान 4.02 अर्जुन खता इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि-  
अतः दवा बादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव के प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझता है।  
सहमति व्यक्त की है। इसलिए न्यायालय दवा बादी अंतिम रूप से विभाजन अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुई है। एवं वकील बादी ने विभाजन प्रस्ताव बहस पर पर मनन किया एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। निर्णय जावे।

किया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बादी का दवा अंतिम रूप से डिक्री किया आपति बादी गई। उभय पक्ष ने अनापति हाना जाहिर किया। एवं बहस में कथन उप तहसीलदार सालासर ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया। जिस पर तहसीलदार संजानाह से विभाजन प्रस्ताव संवादाया गया जिस पर न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 को पुरि की।

राजस्व अधील प्राधिकारी बीकानेर पेश करने पर अधीन न्यायालय ने इस अधील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.ए. 1955 न्यायालय संप्रबध अधिकारी एवम पदेन इकराम ने इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 के विरुद्ध न्यायालय हाना हारा प्रारम्भिक डिक्री जाये किने पर विजयपाल पुत्र आवागमन के रस्ता का भी प्रस्ताव पेश करें।  
से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाकर खातेदारों की उपस्थिति करवाने की अधिकारिणी है। तहसीलदार संजानाह को आदेशित किया जाता है कर्नी आपति नहीं है। इसलिए खातेदार बादी अपनी खातेदारी हिस्सा विभाजित खातेदार अपने हिस्सा की खातेदारी विभाजित करवा सकता है इस संबंध में कोई 3 व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 1/5 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की जावे। एक आदेशित किया जाता है कि बादागत सौमि की खातेदारी व प्रतिवादीगण सं. 1 से वर्तमान रेकार्ड गलत है जिसे निरस्त किया जाता है। तहसीलदार संजानाह को सृजानाह में बादी व गौणवादी 1/5 हिस्सा प्रत्येक की खातेदार कर्षक है। व बीघा बाके रोही गुंडावड़ी व खसरा नं. 568/826 बाके रोही सालासर तहसील जाकर धीमे किया जाता है कि बादागत सौमि खसरा नं. 823/26 तादादी 22.00 बादिनी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया था कि दवा बादीनी डिक्री किया यह दवा न्यायालय में तैयारण किया जाकर दिनांक 08.06.2016 को दवा

इस कम में ग्राम गुडवर्डी के खसरा नं. 823/26 रकबा 22 बीघा लगान 15.40 रुपये का विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

1. सतीष पुत्री हरकाम जाति जाट सा. गुडवर्डी खसरा नं. 823/26 रकबा 4.08 बीघा किस्म बा.अ. लगान 3.08
2. ज्यानादेवी पत्नी हरकाम विजयपाल, इन्दरदेवी पुत्र पुत्री हरकाम हिस्सा 3/4 हिस्सा ब. अनिता पत्नी सुभाष, रविप्रकाश, पुजा पुत्र पुत्री सुभाष हिस्सा 1/4 हिस्सा ब. जाति जाट सा. गुडवर्डी खसरा नं. 823/26 रकबा 17-12 बीघा किस्म बा.अ. लगान 12.32

तहसीलदार सुजानाद को आदेहीत किया जाता है कि उपरोक्तानुसार व संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अवस में तरमीम करें। स्टाप पेरा होने पर तदनुसार पर्या हीकी जायी हो। पञ्चावली निर्णय में शामिल होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय में सुनाया गया।

सुजानाद  
उपखण्ड अधिकारी  
30/08/19  
KRP